>

Title: Need to declare Pipavav Port in Amreli, Gujarat as 'Designated Port' under Port subsidies scheme.

श्री नारणभाई काछड़िया (अमरेली): सभापति महोदय, पहले तो मैं 20 दिन से यह मुद्दा रखने के लिए बार-बार जीरो ऑवर में डाल रहा था । आज लग गया है तो मुझे पूरा मेरे क्षेत्र का इश्यु है, तो मुझे पूरा बोलने दीजिएगा । वर्ना मेरा पूरा क्षेत्र आज देख रहा है ।

सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे यह मुद्दा उठाने का अवसर प्रदान किया है । महोदय, यह मुद्दा न केवल मेरे संसदीय क्षेत्र से संबंधित है, बल्कि राष्ट्र हित में है । जैसा कि भारतवर्ष पेट्रोलियम पदार्थों का आयात करता है । यह बात एलपीजी पर विशेषकर लागू होती है । हम अपनी घरेलू मांग का लगभग आधा हिस्सा आयात करते हैं । हमारी एलपीजी की मांग करीब 24 मिलियन मीट्रिक टन है, तथा हमारा घरेलू उत्पादन केवल 12 मिलियन मीट्रिक टन के करीब है । अत: हमें 12 मिलियन मीट्रिक टन विदेश से आयात करना पड़ता है । यह आयातित एलपीजी देश के विभिन्न बंदरगाहों पर लाई जाती है, तथा देश की तीन सरकारी क्षेत्र की कंपनियां – आईओसी, बीपीसीएल तथा एचपीसीएल इसका आयात करती है । भारत सरकार ने एक स्कीम - डेजिग नेटेड पोर्ट स्कीम चलाई हुई है, जिसमें विभिन्न बंदरगाहों के प्रयोग पर सरकार इन कंपनियों को वित्तीय सहायता यानी सब्सिडी प्रदान करती है ।

महोदय, इस डेजिगनेटिड पोर्ट सब्सिडी स्कीम में बाकी सभी मुख्य पोर्ट्स जैसे कि जे.एन.पी.टी. कांडला, मैंगलोर इत्यादि पोर्ट शामिल हैं । लेकिन हमारे संसदीय क्षेत्र अमरेली में स्थित पीपावाव पोर्ट शामिल नहीं है । यह पोर्ट मेरे संसदीय क्षेत्र अमरेली में स्थिति है ।

महोदय, इस विसंगतता के कारण तेल कंपनियां अन्य पोर्ट का प्रयोग करती हैं, जिसमें उन्हें सरकारी वित्तीय सहायता यानि सब्सिडी मिलती है ।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से यह अनुरोध है कि 'सबका साथ, सबका विकास ' के अंतर्गत सभी पोर्ट्स के लिए एक समान व्यवस्था की जाए, तथा यह सब्सिडी पिपावाव पोर्ट स्थित आयात संस्थान पर भी लागू की जाए । मैं आपका ध्यान इस बात की ओर भी आकर्षित करना चाहता हूँ कि इस विसंगती के कारण देश को तथा राज्य को राजस्व की हानि भी होती है । इसका कारण है कि जहाजों को अन्य बंदरगाहों पर प्रतीक्षा करनी पड़ती है और ऑयल कंपनियों को डेमरेज के रूप में अतिरिक्त भारी नुकसान भुगतना पड़ता है ।

महोदय, हमारा संसदीय क्षेत्र अमरेली एक कृषि आधारित जिला है । हमें पूरी उम्मीद है कि इस सरकार के शासनकाल मे हमारे जिला का पूर्ण विकास होगा महोदय, पूरे देश के कोस्टल एरिया का ज्यादातर भाग, करीब 1600 किलोमीटर गुजरात में है । हमारे राज्य के विभिन्न पोर्ट्स में से एक पीपावाव पोर्ट हैं, जो हमारे संसदीय क्षेत्र अमरेली जिला में स्थापित है ।

महोदय, पिपावाव पोर्ट के डेज़िगनेटिड पोर्ट घोषित किए जाने से ओएमसी यानी तेल कंपनियों को भारी फायदा होगा और इसके साथ ही देश को एक बड़े राजस्व का लाभ होगा । उसके साथ-साथ हमारे संसदीय क्षेत्र अमरेली का विकास भी होगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा । अत: आपके माध्यम से मेरा यह अनुरोध है कि जल्द से जल्द इस पिपावाव पोर्ट को डेज़िगनेटिड पोर्ट घोषित किया जाए । ...(व्यवधान)